

प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दांतारामगढ
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान जाना

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जाना व मू.अ.नि. लोसल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार, दांतारामगढ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जाना तहसील, दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 22 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	जाना	20	गुलाब सिंह पुत्र धनसिंह	छिगनसिंह पुत्र धनसिंह

नोट: अन्य किली भी न्यायालय का
खगन छोड़ना ना होने की स्थिति
में अमल दरामद करे।

(सुश्री प्रतिभा वर्मा आई.एस.एस.)
उप पीठासीन अधिकारी/हारी
उपखण्ड अधिकारी/हारी

पदेन सहायक कलक्टर, दांतारामगढ

दिनांक:- 06-05-2023

क्रमांक:- कैम्प-2023/24
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार दांतारामगढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाएं।
2. प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रतिभा वर्मा, I.A.S.
उप पीठासीन अधिकारी/हारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, दांतारामगढ